

नायक उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

लाइसेंस अधिकारी - शेखा गृन्डर कार एएस

कसमा नम्बर 380/2024 प्रार्थनापत्र

01 चांदमल पुत्र श्री कंदर लाल जारि जैन आयु वयस्क निवासी- चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थी

बनाम

- 01 गजरी पत्नी स्व0 श्री उगमा नायक आयु वयस्क निवासी- खारोलिया खेडा (शंकरपुरा) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 02 गीता पुत्री श्री बालू नायक आयु वयस्क निवासी- गोविन्दपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 03 दुर्गा पुत्री उगमा नायक आयु वयस्क निवासी- खारोलिया खेडा (शंकरपुरा) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 04 देवकिशन पुत्र श्री उगमा नायक आयु वयस्क निवासी- खारोलिया खेडा (शंकरपुरा) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 05 प्रेमी पत्नी श्री बालू नायक आयु वयस्क निवासी- गोविन्दपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 06 पारस पुत्र श्री उगमा नायक आयु वयस्क निवासी- खारोलिया खेडा (शंकरपुरा) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 07 बदाम पुत्री श्री उगमा नायक आयु वयस्क निवासी- खारोलिया खेडा (शंकरपुरा) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 08 सुखी पुत्री श्री बालू नायक आयु वयस्क निवासी- गोविन्दपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 09 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थित :-

श्री अशोक कुमार लखारा

एकपक्षीय

सरोकार सरकार

—अधिवक्ता प्रार्थी

— विपक्षी संख्या 01 से 08

—विपक्षी संख्या 09

दिनांक-23.11.2025

:: निर्णय ::

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा- 251-ए राज0 टिनेन्सी एक्ट तहत प्रस्तुत कर सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में राजी नम्बर 1390/952 रकबा 1.4543 हैक्टर स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक कार से दर्ज होकर प्रार्थी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त राजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1100 से होते हुए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1113/861, 946, 945 से होकर आते जाते है, उक्त रास्ता 30 फीट गैर के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस भेजा जाने के पश्चात विपक्षीगण की ओर उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। विपक्षीगण में मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या उक्त रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की शिका पारित की।

फोटो स्टेट प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

प्राथी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्राथी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र में वर्णित तथ्यों को धराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा देश एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्राथी को आराजियात पर आने जाने, संज्ञा नैलगाड़ी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य को कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्राथी के नाम पर सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर 1390/952 प्राथी के नाम दर्ज रेकार्ड है। सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1390/952 जो कि विपक्षीगण के दर्ज रेकार्ड, मौके पर वर्तमान में उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्राथी की आराजी नम्बर 1390/952 में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 1113/861 रकबा 0.7461 हैक्टर में से 0.0138 हैक्टर व आराजी नम्बर 945 रकबा 0.0126 हैक्टर में से 0.0126 हैक्टर आराजी नम्बर 946 रकबा 0.1391 में से 0.0331 हैक्टर जिसे लाल रसाही से नक्शे में दर्शित है, जो 9.144 मीटर चौड़ाई वाली 65 मीटर रास्ते के रूप में कुल 0.0595 हैक्टर भूमि आती है, जो निकटतम रास्ता है, जो आने में ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, अदा करने को तैयार है।

मैंने प्राथी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, प्राथी की आराजी नम्बर 1390/952 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1316/861, 945 में से मौका रिपोर्ट अनुसार प्राथी की आराजी नम्बर 1390/952 में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 1113/861 रकबा 0.7461 हैक्टर में से 0.0138 हैक्टर व आराजी नम्बर 945 रकबा 0.0126 हैक्टर में से 0.0126 हैक्टर आराजी नम्बर 946 रकबा 0.1391 में से 0.0331 हैक्टर रास्ता तैयार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जा रहा है। अत एव

:: आदेश ::

प्राथी का आवेदन स्वीकार कर प्राथी की सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर 1390/952 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1390/952 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1113/861 रकबा 0.7461 हैक्टर में से 0.0138 हैक्टर व आराजी नम्बर 945 रकबा 0.0126 हैक्टर में से 0.0126 हैक्टर आराजी नम्बर 946 रकबा 0.1391 में से 0.0331 हैक्टर रास्ता के रूप में (मौका पर्चा रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित भू नक्शे में दर्शितानुसार) में कृषि कार्य आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा में दर्शित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को तहसील इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0595 हैक्टर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्राथी से वसूल कर आराजी संख्या 01 लगायत 09 को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त नक्शा का भाग रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 23.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी एवं वृद्ध सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

फोटो स्टेट प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा